2018/00183

निगम में 145

5-12-18 नाजी
10-1-19

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☎ 230289
ता. पेशी स्टेज 15-2-19
27-2-19
27-3-19
24.4
14-5-19
11-6-19
11-7-19
6/8/19
13/8/19
2/9/19
18.9
11.12.19
साक्ष्यवादी 9/2/2022
27.4.22
17.11.22
8.12.22
9.3.23
21-6.23
05-7-23

राजस्थान सरकार

राजस्था
(कायदा
र्श रूल्स
कारी बि

)
इंडेक्स फार्म नम्बर 8 के
स सिवि
खण्ड अ
जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
नाजिक 57-88-106	64/2018	25-10-18	निर्णीत 21/12/23	साक्ष्यवादी & P.F.

अनवान

श्री भंवरीबाई जाट श्री नारायण - मन्नू - कमला वग़ैरह

निवासी देवली निवासी बगेरा (19) विजोलिया

3/8 निगम में

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

O.P. Sharma
डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनान
सुनील जी बाकलीवाल

श्री ओमप्रकाश शर्मा श्री निर्मल कुमार जोशी

2. नितिन जा

7-12

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उप. व वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 7 के वारिसान बाद समन तामिले प्राप्त। वकीलवादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 8.12.22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
8/12/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 2.2.23 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
2.2.23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 9.3.23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
9/3/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 13/4/23 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
13/4/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 7.2, 7.3, 7.4 पूर्व में ही पक्षकार हैं। प्रतिवादी संख्या 7 की मोपाल की मृत्यु होने से उसके वारिसान 7.1 एवं 7.5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः 7.1 से 7.5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते हैं। 3 बार आवाज लगाने पर भी प्रतिवादी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 17/5/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/5/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/6/23 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
14/6/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/6/23 को वास्त सा-वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
21/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। साक्ष्यवादी में गवाह PW-1 वादिया भंवरी बाई के बयान लेख बद्ध हुए। अधिवक्ता वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। पत्रावली साक्ष्यवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते एक तरफा बहस दिनांक 6/7/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	नि. भंवरी बाई
6/7/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12/7/23 को वास्त बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
12/7/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19/7/23 को वास्त बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
19/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने एक प्रार्थना-पत्र धारा 53 RTA को हटाने बाबत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया। वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में धारा क्रमश:	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	53 RTA को वाद-पत्र के अनुतोष नहीं चाहने बाबत निवेदन किया। वादीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र में वर्णित धारा ~~[illegible]~~ RTA को हटाया जाकर धारा 88-188 RTA को सनावत् रखा जाता है। पत्रावली वास्ते बहस वाद पत्र धारा 88-188 दिनांक 27/7/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
27/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12/12/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
12/12/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रावली दिनांक 14/12/23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
14/12/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस/वन्दे दिनांक 21/12/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
21/12/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया, एवं विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जावें। वाद पत्र डिक्री किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्याः– 64/2018

दायर तारीख 25/10/2018

अनवान

भंवरी बाई उर्फ गोपीबाई पुत्री मोहनलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां हाल देरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....वादीया

बनाम

01. नारायण पिता गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
02. झमकू बेवा गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
03. कमलेश पिता रघुनाथ जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
04. मोहन पिता रघुनाथ जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
05. गिरजा पुत्री एकलिग पत्नि मोहनलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी पुरोहितो का खेड़ा तहसील बिजौलियां।
06. बाली पुत्री एकलिंग पत्नि रामचन्द्र अहीर उम्र बालिग निवासी देरोली तहसील बिजौलियां।
07. स्वर्गीय गोपाल पिता रतनलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
    7/1 रूकमण पत्नि गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
    7/2 अनिल कुमार पुत्र गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
    7/3 सुनिल कुमार पुत्र गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
    7/4 दिनेश कुमार पुत्र गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
    7/5 निर्मला पुत्री गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
8. सोहनी पुत्री रतनलाल पत्नि रामचन्द्र जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां।
9. अनिल कुमार पिता गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
10. सुनिल कुमार पिता गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
11. दिनेश कुमार पिता गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
12. शंकरलाल पिता उदयलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
13. हेमन्त पुत्र शिवनारायण जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
14. सत्यनारायण पुत्र शिवनारायण जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
15. कान्ता पुत्री शिवनारायण पत्नी मांगीलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी झाडोली तहसील बिजौलियां।
16. गायत्री पुत्री शिवनारायण पत्नि सोहनलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
17. शान्ता पिता शिवनारायण पत्नि संजय जाति अहीर उम्र बालिग निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियां।
18. राधाबाई पत्नि शिवनारायण जाति अहीर उम्र बालिग निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियां।
19. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता वादीया

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 21/12/2023

वादीया द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर बादजांच सिजे की रिपोर्ट मंगवायी। वादपत्र दर्ज योग्य उपयुक्त होने की रिपोर्ट सीगे की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गय। प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन के तलबी की गयी।

वादिया के वादपत्र अनुसार मौजा बिजौलियां प0ह0 बिजालियां में स्थित कृषि भूमि नामान्तकरण क्रमांक 251 दिनांक 09.10.1977 के खोले जाने से पूर्व राजस्व अभिलेखो में वादग्रस्त जायदाद निम्नानुसार दर्ज अभिलेख थी खातेदार गणपत लाल पिता नाथूलाल 1/4 भैरूलाल पिता उंकारलाल 1/4 शंकरलाल पिता उदयलाल रतनलाल पिता लक्ष्मण कन्हैयालाल पिता तुलसीराम 1/4 मोहनलाल पिता श्री किशन अहीर 1/4 सा0 देह के नाम आराजी खसरा संख्या 1180 रकबा 17 बिस्वां, खसरा संख्या 1181 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वां, खसरा संख्या 1182 रकबा 19 बिस्वां, खसरा संख्या 1183 रकबा 19 बिस्वां,

लगातार पेज संख्य 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

खसरा संख्या 1184 रकबा 06 बिस्वां, खसरा संख्या 1185 रकबा 08 बिस्वां, खसरा संख्या 1186 रकबा 15 बिस्वां, खसरा संख्या 1187 रकबा 16 बिस्वां, खसरा संख्या 1188 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वां, खसरा संख्या 1189 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वां, खसरा संख्या 1190 रकबा 14 बिस्वां, खसरा संख्या 1191 रकबा 10 बिस्वां, खसरा संख्या 1192 रकबा 9 बिस्वां, खसरा संख्या 1193 रकबा 08 बिस्वां, खसरा संख्या 1194 रकबा 5 बिस्वां, खसरा संख्या 1195 रकबा 14 बिस्वां, खसरा संख्या 1198 रकबा 16 बिस्वां, खसरा संख्या 1199 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वां, खसरा संख्या 1200 रकबा 11 बिस्वां, खसरा संख्या 1201 रकबा 10 बिस्वां, खसरा संख्या 1202 रकबा 12 बिस्वां, खसरा संख्या 1203 रकबा 13 बिस्वां, खसरा संख्या 1204 रकबा 6 बिस्वां, खसरा संख्या 1205 रकबा 8 बिस्वां, खसरा संख्या 1206 रकबा 19 बिस्वां, खसरा संख्या 1207 रकबा 10 बिस्वां कुल किता 26 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित हैं।

वादग्रस्त जायदाद में स्व0 मोहन पिता श्रीकिशन उर्फ किसनलाल अहीर का वादग्रस्त जायदाद में 1/4 हिस्सा था उनकी मृत्यु के बाद नामान्तकरण 251 दिनांक 09.10.1977 को खोला जाकर स्व0 मोहन जी की एक मात्र प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी उनकी विधवा केली बाई उर्फ काली अहीर को बताकर उसके नाम कुलिया 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया। जबकि स्व. मोहन जी अहीर की वादिया पुत्री प्रथम श्रेणी उतराधिकारी होने के बावजूद बिना जांच व वादिया की जानकारी में आये दिये बिना ही यह नामान्तकरण खोला गया। जबकि उसी मौजे में स्थित अन्य खाते की भूमि खसरा संख्या 1208 में स्व. मोहन जी कि वादिया को पुत्री बता उसके नाम नामान्तकरण खोला गया। इससे स्थापित है कि वादिया मोहन जी व केली बाई उर्फ काली दोनो के ससर्ग से उत्पन्न संतान है इसलिए वादिया वादग्रस्त जायदाद में मोहन जी अहीर की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी होने से 1/8 हिस्से की खातेदार है जिसे खातेदारी प्रदान नही कर मोहन जी अहीर 1/4 हिस्से की केलीबाई उर्फ काली को खातेदारी प्रदान की गयी जो अवैध हैं।

वादिया वादग्रस्त जायदाद मे जन्म से हितबद्ध खातेदार है वादिया के 1/8 वे हिस्से को विलोपित कर जो वादग्रस्त जायदाद बाबत खोला गया नामान्तकरण केलीबाई के नाम पर विधि के प्रावधानों के विपरीत है वादिया मोहन जी अहीर के 1/4 हिस्से में से 1/8 वे हिस्से की खातेदारी प्रदान करने हेतु वादिया ने यह वाद प्रस्तुत किया हैं।

कि केली बाई उर्फ काली विधवा मोहन जी अहीर ने अपने नाम पर मोहन जी की मृत्यु के बाद दर्ज हुये हिस्से को वादिया के बनने वाले 1/8 हिस्से सहित कन्हैयालाल पिता तुलसीराम अहीर निवासी भिचोर व अन्य को विक्रय कर दी। वादीया के हिस्से की सीमा तक कन्हैयालाल अहीर व अन्य के पक्ष में हुआ विक्रय अवैध होकर वादिया का 1/8 वा हिस्सा प्रभावित हुआ है क्योकि किसी खातेदार के उसके बनने वाले हिस्से से अधिक विधि विरूद्ध व अवैध तरिके से खातेदारी दे दी जाती है तो उसे अपने बनने वाले हिस्से से अधिक भूमि के विक्रय का अधिकार नही हैं। इसलिए वादिया का हिस्सा विधि के प्रभाव से सुरक्षित व कब्जा भी मान्य है वादिया का विक्रय किये गये हिस्से पर कन्हैयालाल व अन्य के पक्ष में किया विक्रयपत्र से प्रभावित नही है।

वादग्रस्त जायदाद आराजी खसरा संख्या 1203, 1203/1 व 1207 कुल 3 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा की राधा बाई पत्नि शिवनारायण खातेदार हैं।

वादग्रस्त जायदाद के खसरा संख्या 1180 से 1186 व 1188, 1190 से 1195 ख0न0 1198/1, 1201, 1204, 1205, 1206 कुल किता 18 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा जमाबन्दी 2071 से 2074 के अनुसार नारायण पिता गोपाल झमकू बेवा गोपाल भगवती पुत्री रामनारायण कमलेश मोहन पिता रघुनाथ, घनश्यामी बाई पुत्र रघुनाथ खातेदार, शिवनारायण के स्थान पर हेमन्त, सत्यनारायण कान्ता, गायत्री शांता पिता शिवनारायण राधाबाई विधवा शिवनारायण, दर्ज घनश्यामी बाई ने अपना हिस्सा कमलेश, मोहन पुत्र रघुनाथ अहीर को दे दिया।

इस प्रकार आराजी खसरा संख्या 1187 रकबा 16 बिस्वां ख0न0 1189 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा ख0न0 1198 रकबा 12 बिस्वा, ख0न0 1199 रकबा 1 बीघा, ख0न0 1199/1 रकबा 6 बिस्वा, ख0न0 1200 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा अनिल कुमार, सुनिल कुमार व दिनेश कुमार पिता गोपाल अहीर 1/2 शंकरलाल पिता उदयलाल 1/2 धाबाई के नाम पर दर्ज हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कि कुलिया भूमि में वादिया 1/8 वे हिस्से की खातेदार है इसलिए उसे 1/8 वे हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित की जावे वादिया का 1/8 वे हिस्से पर जन्म से अधिकार होने से उसका विधि में कब्जे की अवधारण की जानी चाहिये चाहे अवैध तरीके से उसका हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नही किया गया हो या किये जाने से रह गया या जान बुझ कर छोड दिया गया हो।

वादिया का वादग्रस्त जायदाद में हिस्सा दर्ज नहीं होने की जानकारी प्रथम बार 20 फरवरी 2018 में हुयी जब वादिया को हिस्से पर काश्त करने से दर्ज खातेदारो ने रोका। इसलिए वादिया ने यह वाद धारा 88–188 के तहत वाद प्रस्तुत किया।

वादिया ने अपने को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने बनने वाले हिस्से अनुसार उसका मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने व वादिया को उसके 1/8 वे हिस्से पर काश्त करने से नही रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्ध जारी करने के अनुतोष की मांग करते हुये वादिया ने वाद प्रस्तुत किया हैं।

न्यायालय ने जरिये सम्मन के प्रतिवादीगण की तलबी पर प्रतिवादीगण 7 से लगायत 12 अपने अभिभाषक का अधिकार पत्र प्रस्तुत कर उपस्थित हुये शेष प्रतिवादीगण के अनुपस्थित होने उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किये गये।

प्रतिवादीगण 7 से 12 तक ने दिनांक 22.08.2019 को अपना जवाब प्रस्तुत किया उसके अनुसार दावे का प्रतिवाद करते हुये वादपत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया।

स्व. मोहनलाल अहीर की मृत्यु के बाद उनकी विधवा केलीबाई के नाम पर खोला गया नामान्तकरण 251 खोला गया वह पूर्णतया सही हैं। वादिया वादग्रस्त जायदाद में 1/8 वा हिस्सा पाने की अधिकारी नही हैं।

नामान्तकरण खोलते समय उतराधिकारिता की पूर्ण तस्दीक मोहन जी अहीर उतराधिकारी केली बाई होने उसके नाम पर नामान्तकरण तस्दीक किया गया।

वादग्रस्त जायदाद प्रतिवादीगण को विक्रय की जा चुकी है और नामान्तकरण क्रेता के नाम तस्दीक हो गया हैं। वादिया प्रतिवादीगण से अवैध धन वसूलने के लिए उसने यह दावा पेश किया हैं।

वादिया के वादग्रस्त जायदाद में किसी हिस्से को प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय के खातेदारी प्राप्त की हैं।

न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त करने का अधिकार नही हैं।

वादिया का वाद सव्यय खारीज फरमाया जावे। वादिया ने अपने वाद समर्थन में जमाबन्दी वर्ष 2071 से 2074 की जमाबन्दी बिकावनामा, जमाबन्दी की नकल संवत 2071 से 2074 नामान्तकरण की प्रति बिजौलियां पंचायत का वारिस प्रमाणपत्र शपथपत्र काली (केली बाई) ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र

प्रतिवादीगण ने जवाब के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नही किये है।

वादीया के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाब एवं वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर शामिल पत्रावली की गयी जो इस प्रकार हैं।

<u>तनकी नं0 1 –</u> आया कि मौजा बिजौलियां स्थित खातेदारी भूमि जिसका विवरण वादपत्र की चरण संख्या 1 में दिया गया है। जिसका कुल रकबा 19–02 बीघा में मोहनलाल पिता श्रीकिशन जी का 1/4 हिस्सा होकर वादीया एक मात्र उतराधिकारी होने से उस हिस्से की खातेदारी पाने की अधिकारी हैं।

.....जिम्मे वादिया

<u>तनकी नं0 2 –</u> आया कि मोहनलाल पिता श्रीकिशन जी की मृत्यु के पश्चात केवल काली बाई पत्नि मोहनलाल जी के नाम पर खोला गया नामान्तकरण विधि विरुद्ध होकर केली बाई के साथ वादीया के नाम पर भी नामान्तकरण खोला जाना विधि सम्मत एवं आवश्यक था इसलिये नामान्तरणसंख्या 251 विधि विरुद्ध हैं।

.....जिम्मे वादिया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्य 04 पर

तनकी नं0 3 – आया कि केली बाई द्वारा अवैध तरीके से प्राप्त खातेदारी का अनुचित लाभ उठा 1/4 हिस्से का कन्हैयालाल पिता तुलसीराम अहीर के नाम पर खोला गया नामान्तरण शून्य होकर वादीया के 1/8 हक हिस्से पर कोई विपरीत प्रभाव नही है।

.....जिम्मे वादिया

तनकी नं0 4 – आया कि बिजौलिया की आराजी नम्बर 1208 में वादीया के पक्ष में मोहनलाल पिता श्रीकिशन की उतराधिकारी मानते हुए नामान्तरण खोला गया जो सही हैं।

.....जिम्मे वादिया

तनकी नं0 5 – आया कि कन्हैयालाल पिता तुलसीराम अहीर द्वारा केली बाई से क्रय किये गये 1/4 हिस्से को प्रतिवादी क्रमांक 9 से 12 तक को किया गया विक्रय अवैध होकर वादीया 1/8 हिस्से की खातेदारी पाने की अधिकारी हैं।

.....जिम्मे वादिया

तनकी नं0 6 – आया कि वादीया अपने 1/8 हिस्से को मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करा अलग राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराने की अधिकारी हैं।

.....जिम्मे वादिया

तनकी नं0 7 – आया कि नामान्तरण संख्या 251 खोले जाने से पूर्व स्व. मोहनलाल जी के वारिसान की जानकारी ली जाकर खोली जाने से विधि विरूद्ध नहीं हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 8 – आया कि वादीया विवादग्रस्त जायदाद कि खातेदार नही होने से वादीया वाद लाने की अधिकारी नही हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 9 – आया कि प्रतिवादीगण क्रमांक 9 से 12 सद्भावितक क्रेता होकर विधिक प्रतिफल अदायगी के पश्चात उन्हे खातेदारी प्राप्त होने से उनकी खातेदारी समाप्त योग्य नही हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 10 – आया कि विक्रयपत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 11 – आया कि वादीया ने अवैध रूप से राशि वसूलने के लिए आधारहीन वाद पेश किया।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 12 – अनुतोष क्या होगा।

प्रतिवादी संख्या 7 गोपाल की मृत्यु हो जाने से वादिया की ओर से आदेश 22 नियम 4 दि0प्र0स0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उतराधिकारिता की तलबी की जाकर रेकॉर्ड पर लिया गया। किन्तु गोपाल के वारिसान उपस्थित नही आये उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश दिये गये।

शेष प्रतिवादीगण के अभिभाषक तनकीयात कायम करने तक उपस्थित आये उसके बाद उन्हें सुनवायी की दिनांक की जानकारी होते हुए न्यायालय में उपस्थित नही आये। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वादिया को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जिसने न्यायालय में अपने को गवाह पी.डब्ल्यू 1 के रूप में सशपथ बयान दिये कथन किया कि–

मुझ वादिया की सामलाती भूमि मौजा बिजौलियां में कृषि भूमि स्थित है। वादग्रस्त जायदाद का नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.10.1977 को खोला गया। उससे पूर्व वादग्रस्त जायदाद के खातेदार गणपतलाल पुत्र नाथूलाल 1/4 भैरूलाल पुत्र उंकार 1/4 शंकर पिता उदयलाल, रतनलाल पिता लक्ष्मण, कन्हैयालाल पुत्र तुलसीराम 1/4 मोहन पिता श्रीकिशन 1/4 अहीर जिसके खसरा संख्या 1180 से लगायत 1195 व 1198 से लगायत 1207 तक कुल 19 बीघा 2 बिस्वा से भूमि दर्ज होकर स्थित है। 1/4 हिस्से का खाता मोहन पुत्र श्रीकिसन अहीर थे जिनकी मै पुत्री हूं। यह नामान्तकरण केवल केली बाई उर्फ काली अहीर के नाम पर खोला गया उसे पंचायत बिजौलिया ने तस्दीक दिया। जबकि वादिया मोहन व केली बाई से उत्पन्न संतान है। मोहन जी मृत्यु के बाद केली व मेरे नाम बराबर हक से नामान्तकरण खोला जाना चाहिये था। मोहन जी मृत्यु के बाद इसी मौजे में स्थित खसरा संख्या 1208 में खोले गये नामान्तकरण में वादिया का नाम बहेसियत खातेदार के खोला गया वादिया मोहन जी के 1/4 हिस्से में 1/8 वे हिस्से की हकदार है। न तो वादिया का हिस्सा बिलोपित हुआ है न ही कब्जा समाप्त हुआ है जो वादिया का 1/4 हिस्सा विलोपित किया गया वह बिना किसी डिक्री अथवा विक्रय से किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्य 05 पर

काली उर्फ केली ने जो वादिया के हिस्से सहित 1/4 हिस्सा विक्रय किया वह मूलतः अवैध व प्रभावहीन है। शेष खातेदारान ने अपने दर्ज हिस्से को विक्रय किया उसके आधार पर कन्हैयालाल पुत्र तुलसीराम शंकरलाल रतन के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज था उसमें से 1/12 हिस्सा सह खातेदारान को विक्रय कर जो प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 के नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादी अनिल, सुनील, दिनेश, कन्हैयालाल ने केली से जो 1/4 हिस्सा क्रय किया वह उसके नाम दर्ज हो गया। इस कारण वे 1/3 हिस्से के खातेदार हो गये। वादिया का हिस्सा केली द्वारा जिन्हे बेचा गया उसमें से 1/8 हिस्से की कटोती की जाकर वादिया को उसका खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे। वादिया के हिस्से की सीमा तक भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा कराया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने गवाह से जिरह नही की गयी।

वादिया ने प्रस्तुत दस्तावेजो को अपने बयाने से प्रदर्श–1 से लगायत 13 तक प्रदर्श करवाये।

बहस से पूर्व वादीया ने धारा 53 रा0टि0एक्ट का अनुतोष नही दिलाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया।

वादपत्र में एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वादिया की ओर से की गयी बहस में वादपत्र के तथ्यो व प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजो की ओर न्यायालय ध्यान दिलाते हुये निवेदन किया कि वादीया मोहन जी व केली बाई से उत्पन्न इकलोती संतान है मोहन जी की मृत्यु के बाद केली बाई व वादिया के नाम बराबर हिस्से अनुसार नामान्तकरण खोला जाना चाहिये था। जबकि मोहन जी के हिस्से 1/4 का नामान्तकरण अकेली केली बाई के नाम खोला गया जो अवैध हैं।

वादिया मोहन जी की जायन्दा पुत्री है उसको साबित करवाने के लिए मोहन जी के खाते में दर्ज भूमि ख0न0 1208 में वादीया को मोहन जी की पुत्री मानते हुए वादिया के साथ केली बाई के नाम पर खाता खोला गया जो वादिया के मोहन जी की पुत्री होने का ठोस प्रमाण है। इसलिए वादिया वादग्रस्त जायदाद में मोहन जी के दर्ज 1/4 हिस्से में से 1/8 वे हिस्से की खातेदारी प्रदान किया कानून सम्मत है जो नामान्तकरण संख्या 251 केली बाई विधवा मोहन जी के नाम खोला गया अवैध हैं।

वादिया का प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है वादिया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादिया की ओर से की गयी बहस प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजो पर ध्यान पूर्वक विचार व मनन किया गया। न्यायालय का तनकी अनुसार निर्णय इस प्रकार है–

<u>तनकी संख्या 1</u>

जिसको सिद्ध करवाने का भार वादिया पर है वादिया ने अपनी ओर दिये बयान, पंचायत के द्वारा जारी वारीस प्रमाण पत्र व आराजी खसरा संख्या 1208 में मोहन जी की मृत्यु के बाद वादिया को मोहन जी की पुत्री मानकर खोला गये रेकॉर्ड से वादिया का मोहन जी की पुत्री होना साबित हुआ है। इसलिए वादिया वादग्रस्त जायदाद जिसमें मोहन जी का 1/4 हिस्सा दर्ज है में 1/8 वे हिस्से की खातेदारी पाने की अधिकारी होना वादिया ने साबित करवाया है इसलिए वादिया को 1/8 हिस्से की खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतित होने से वादिया को 1/8 वे हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तनकी नं0 एक बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण के तय की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 2</u>

जिसको सिद्ध कराने का भार वादिया पर है मोहन जी मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 251 अकेली केली बाई के नाम पर 1/4 हिस्से का नामान्तकरण खोल खातेदारी गलत दी गयी है जबकि मोहन की विधवा के अलावा उनकी जायन्दा पुत्री वादिया होना साबित करवाया गया है इसलिए नामान्तकरण संख्या 251 द्वारा केली देवी अकेली का खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना अवैध प्रतित होता हैं नामान्तकरण को विधि विपरीत खोला जाना साबित हुआ है वादिया वादग्रस्त जायदाद के मोहन जी के 1/4 हिस्से में 1/8 वे हिस्से की खातेदार माना जाकर तनकी संख्या 2 को निर्णय वादिया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के तय किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 06 पर

तनकी संख्या 3

उक्त तनकी को सिद्ध करवाने का भार वादिया पर है वादिया ने वादग्रस्त जायदाद में मोहन जी के दर्ज 1/4 हिस्से में वादिया का 1/8 वा हिस्सा होना सिद्ध करवाया है। मोहन जी का दर्ज 1/4 हिस्सा उनकी अकेली विधवा केली बाई के नाम गलत दर्ज किया गया है। केली बाई ने अपने नाम पर दर्ज 1/4 हिस्से का विक्रय कन्हैयालाल व अन्य को गलत किया है। जबकि केली बाई के वास्तविक 1/8 वे हिस्से से अधिक वादिया के 1/8 वे हिस्से सहित भूमि विक्रय का अधिकार नही था। वादिया के 1/8 वे हिस्से का केली बाई द्वारा किया गया विक्रय उचित प्रतित नही होता है इसलिए वादिया के 1/8 वे हिस्से तक विक्रय प्रभावहीन व विधि के विपरीत है। उक्त तनकी का निर्णय वादिया के पक्ष में विरूद्ध क्रेता के तय की जाती है।

तनकी संख्या 4

उक्त तनकी को सिद्ध करवाने का भार वादिया पर है वादिया के नाम पर मोजा बिजौलियां स्थित आराजी खसरा संख्या 1208 इस आधार पर मोहन जी की पुत्री मानते हुये दर्ज किया गया है। आराजी खसरा संख्या 1208 के बाबत प्रस्तुत रेकॉर्ड से यह साबित करवाया गया है कि उक्त खसरा नम्बर वादिया के नाम मोहन जी की पुत्री मानते हुए दर्ज किया गया। इससे भी वादिया मोहन जी की पुत्री होना साबित हुआ है। इसलिए इस तनकी का निर्णय वादिया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 5

उक्त तनकी को सिद्ध करवाने का भार वादिया पर है वादिया के जिम्मे की तनकी संख्या 1 से 4 तक का निर्णय वादिया के पक्ष में हुआ है। इससे यह स्थापित है कि वादग्रस्त जायदाद में 1/4 हिस्सा उसके पिता के खाते में दर्ज था। जिसका नामान्तकरण मोहन जी के नाम से अकेली उनकी विधवा के नाम पर खोल दिया गया जो अवैध रूप से वादिया उनकी पुत्री जीवित होते हुए उसका बिना सुने विधि के विपरीत वादिया का हिस्सा विलोपित करते हुए खोला गया जबकि वादिया के नाम 1/8 वा हिस्सा दर्ज की जानी चाहिये उत्तराधिकारिता के क्रम में आवश्यक था। वादिया उनके पिता की मृत्यु के बाद विधि के प्रभाव से 1/8 वे हिस्से की खातेदारी नही दी जाकर मोहन जी की विधवा केली के नाम 1/4 हिस्सा विधि के प्रावधानों के विपरीत दर्ज किया गया है। उसका अनुचित लाभ उठाते हुये केली ने प्रतिवादी संख्या 9 से 12 तक विक्रय कर दी जो अनुचित हैं। वादिया 1/8 वे हिस्से की खातेदारी पाने की अधिकारिणी हैं। विधि विरूद्ध किये गये विक्रय से वादिया के हित व हिस्सा प्रभावित होना नही माना जा सकता है इसलिए इस तनकी का निर्णय वादिया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 से 12 के विरूद्ध तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 6

इस तनकी बाबत चाहा गया अनुतोष वादिया ने नही दिये जाने का आवेदन किया गया है इसलिए यह तनकी अनिर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 7 से 11

उक्त तनकीयात को सिद्ध करवाने का भार प्रतिवादीगण पर है किन्तु प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रतिवादीगण ने उक्त सभी तनकीयात को साबित कराने लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है न ही कोई दस्तावेज पेश किये हैं। जिससे प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा को सिद्ध करवाया है। इसलिए उक्त तनकीयात बहक प्रतिवादीगण के वादिया के पक्ष में तय की जाती है।

–: आदेश :–

वादपत्र में बनी तनकी संख्या 1 से 5 तक जो वादिया के जिम्मे की है उसे वादिया के द्वारा सिद्ध करवाने से व प्रतिवादीगण के जिम्मे की तनकीयात उनके द्वारा सिद्ध नही करवाने प्रतिवादीगण के जिम्मे की तनकीयात उनके द्वारा सिद्ध नही करवाने प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गयी है। इसलिए वादिया का वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 के विरूद्ध डिक्री किया जाकर वादिया को 1/8 वे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है कि मौजा बिजौलियां कलां प0ह0 बिजौलियां कलां स्थित आराजी खसरा संख्या 1180 रकबा 17 बिस्वां, खसरा संख्या 1181 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वां,

लगातार पेज संख्य 07 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

खसरा संख्या 1182 रकबा 19 बिस्वां, खसरा संख्या 1183 रकबा 19 बिस्वां, खसरा संख्या 1184 रकबा 06 बिस्वां, खसरा संख्या 1185 रकबा 08 बिस्वां, खसरा संख्या 1186 रकबा 15 बिस्वां, खसरा संख्या 1187 रकबा 16 बिस्वां, खसरा संख्या 1188 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वां, खसरा संख्या 1189 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वां, खसरा संख्या 1190 रकबा 14 बिस्वां, खसरा संख्या 1191 रकबा 10 बिस्वां, खसरा संख्या 1192 रकबा 9 बिस्वां, खसरा संख्या 1193 रकबा 08 बिस्वां, खसरा संख्या 1194 रकबा 5 बिस्वां, खसरा संख्या 1195 रकबा 14 बिस्वां, खसरा संख्या 1198 रकबा 16 बिस्वां, खसरा संख्या 1199 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वां, खसरा संख्या 1200 रकबा 11 बिस्वां, खसरा संख्या 1201 रकबा 10 बिस्वां, खसरा संख्या 1202 रकबा 12 बिस्वां, खसरा संख्या 1203 रकबा 13 बिस्वां, खसरा संख्या 1204 रकबा 6 बिस्वां, खसरा संख्या 1205 रकबा 8 बिस्वां, खसरा संख्या 1206 रकबा 19 बिस्वां, खसरा संख्या 1207 रकबा 10 बिस्वां कुल किता 26 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा भूमि जिसमें नये नाप से हेक्टरो में से जो रकबा बनता है उसमें वादिया को 1/8 वे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादिया के कब्जे काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करने, लड़ाई झगड़ा नहीं करने, कब्जे से बेदखल नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 के विरूद्ध जारी की जाती है।

निर्णयानुसार बाद निर्णय डिक्री बनायी जावे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर पत्रावली फैसल सुमार व दाखिल दफ्तर की जावें

आदेश आज दिनांक 21/12/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या :– 64/2018 दायर तारीख 25.10.2018

अनवान

भंवरी बाई उर्फ गोपीबाई पुत्री मोहनलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां हाल देरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

01. नारायण पिता गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
02. झमकू बेवा गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
03. कमलेश पिता रघुनाथ जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
04. मोहन पिता रघुनाथ जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
05. गिरजा पुत्री एकलिग पत्नि मोहनलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी पुरोहितो का खेड़ा तहसील बिजौलियां।
06. बाली पुत्री एकलिंग पत्नि रामचन्द्र अहीर उम्र बालिग निवासी देरोली तहसील बिजौलियां।
07. स्वर्गीय गोपाल पिता रतनलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
    7/1 रूकमण पत्नि गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
    7/2 अनिल कुमार पुत्र गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
    7/3 सुनिल कुमार पुत्र गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
    7/4 दिनेश कुमार पुत्र गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
    7/5 निर्मला पुत्री गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
08. सोहनी पुत्री रतनलाल पत्नि रामचन्द्र जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां।
09. अनिल कुमार पिता गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
10. सुनिल कुमार पिता गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
11. दिनेश कुमार पिता गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
12. शंकरलाल पिता उदयलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
13. हेमन्त पुत्र शिवनारायण जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
14. सत्यनारायण पुत्र शिवनारायण जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
15. कान्ता पुत्री शिवनारायण पत्नी मांगीलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी झाडोली तहसील बिजौलियां।
16. गायत्री पुत्री शिवनारायण पत्नि सोहनलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां।
17. शान्ता पिता शिवनारायण पत्नि संजय जाति अहीर उम्र बालिग निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियां।
18. राधाबाई पत्नि शिवनारायण जाति अहीर उम्र बालिग निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियां।
19. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 21/12/2023

डिक्री दिनांक : 21/12/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीया श्री ओमप्रकाश शर्मा और प्रतिवादीगण एक पक्षीय पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

मौजा बिजौलियां कलां प0ह0 बिजौलियां कलां स्थित आराजी खसरा संख्या 1180 रकबा 17 बिस्वां, खसरा संख्या 1181 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वां, खसरा संख्या 1182 रकबा 19 बिस्वां, खसरा संख्या 1183 रकबा 19 बिस्वां, खसरा संख्या 1184 रकबा 06 बिस्वां, खसरा संख्या 1185 रकबा 08 बिस्वां, खसरा संख्या 1186 रकबा 15 बिस्वां, खसरा संख्या 1187 रकबा 16 बिस्वां, खसरा संख्या 1188 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वां, खसरा संख्या 1189 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वां, खसरा संख्या 1190 रकबा 14 बिस्वां,

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

खसरा संख्या 1191 रकबा 10 बिस्वां, खसरा संख्या 1192 रकबा 9 बिस्वां, खसरा संख्या 1193 रकबा 08 बिस्वां, खसरा संख्या 1194 रकबा 5 बिस्वां, खसरा संख्या 1195 रकबा 14 बिस्वां, खसरा संख्या 1198 रकबा 16 बिस्वां, खसरा संख्या 1199 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वां, खसरा संख्या 1200 रकबा 11 बिस्वां, खसरा संख्या 1201 रकबा 10 बिस्वां, खसरा संख्या 1202 रकबा 12 बिस्वां, खसरा संख्या 1203 रकबा 13 बिस्वां, खसरा संख्या 1204 रकबा 6 बिस्वां, खसरा संख्या 1205 रकबा 8 बिस्वां, खसरा संख्या 1206 रकबा 19 बिस्वां, खसरा संख्या 1207 रकबा 10 बिस्वां कुल किता 26 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा भूमि जिसमें नये नाप से हेक्टरो में से जो रकबा बनता है उसमें वादिया को 1/8 वे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं वादिया के कब्जे काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करने, लड़ाई झगड़ा नहीं करने, कब्जे से बेदखल नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 के विरूद्ध जारी की जाती है। डिक्री मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 12 वर्ष 2023 को जारी किया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा